प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक
स्कालर्स एकेडमी ए0इन्स्टीच्यूट पू0मा0वि0आनंदनगर
क्षेत्र–फरेन्दा,जनपद–महराजगंज।

पत्रांक/ 1135 – 62 /2009–10/ दिनांकः– 27/3/10

विषयः–अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–6 से 8तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक के संदर्भ में शासनादेश संख्याः646/15–6–97–18एस0(7)/89दिनांकः–13.08.97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू0हा0स्कूल की अस्थायी मान्यता हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा–6 से 8तक) के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से नीचे अंकित निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03 (तीन) वर्ग अनुमन्य होंगे। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र0अ0 सहित कुल पॉच अध्यापक/अध्यापिका एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होंगे। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय/शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्धः–

1.विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी, आर न ही अन्य पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जाएंगी।
2.विद्यालय में राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
3.प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका ही रखे जायें। बिना बे0शि0अधि0की अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेंगे, न निकाले जायेंगे।
4.विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।
5.शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषद् के समान वेतन महँगाई भत्ता आदि देय होगा।
6.विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7.शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। जिसको डाकघर राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।
9.सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 06 माह के अन्दर कराना अनिवार्य है।

भवदीय

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0सं0/ /2009–10– तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
5. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY

MANAGER